

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक जनवरी, 2017

विषय:-

पूर्णिमा जिलान्तर्गत के0 हाट थाना परिसर में महिला थाना एवं अनुसूचित जाति/जनजाति थाना के निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 249.11 लाख (दो करोड़ उनचास लाख ग्यारह हजार रू0) मात्र की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं तत्काल बजट में उपबंधित ₹ 52.00 लाख (बावन लाख रू0) विमुक्त करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पत्रांक-5648, दिनांक-31.12.2016 के संबंध में कहना है कि पूर्णिमा जिलान्तर्गत के0 हाट थाना परिसर में महिला थाना एवं अनुसूचित जाति/जनजाति थाना के निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 249.11 लाख (दो करोड़ उनचास लाख ग्यारह हजार रू0) मात्र की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं तत्काल बजट में उपबंधित ₹ 52.00 लाख (बावन लाख रू0) विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 52.00 लाख (बावन लाख रू0) मात्र राज्य योजनान्तर्गत माँग संख्या-22 के बजट शीर्ष-4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0101-पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण" विपत्र कोड-P4055007890101 एवं विषय शीर्ष-53 01 -मुख्य निर्माण कार्य, राज्य योजना स्कीम कोड-HOM 5420 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. निर्माण का कार्य बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना द्वारा किया जायेगा तथा राशि की निकासी कर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पी0एल0 खाता में जमा किया जायेगा।

5. बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

6. राशि निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यकतानुसार कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

8. उपयोगिता प्रमाण-पत्र तीन माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0-6/योजना-01-02/2017गृ0आ0 के टि0 पृ0 3/टि0 पर दिनांक-19.01.2017 को प्राप्त है।

11. उपर्युक्त में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-6/योजना-01-02/2017 गृ0आ0...../ पटना, दिनांक 25 जनवरी, 2017

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना/पुलिस महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना/आरक्षी शाखा प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राधा
24/01/17
सरकार के अवर सचिव